

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 201/2013

संस्थित दिनांक-11/4/2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

सोनू पुत्र प्रेमसिंह कुशवाह,
उम्र-23 साल, निवासी बहोडापुर
हाल तूरी का पुरा भिण्ड मध्यप्रदेश

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
आरोपी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 21 जुलाई, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366 भा0द0वि0 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 06/06/2011 के शाम करीब 5 बजे फरियादी के घर अंतर्गत थाना गोहद स्थित में से अभियोक्त्री कोमेश उम्र-17 साल को उसके प्राकृति एवं विधि पूर्ण संरक्षक उसके पिता की संरक्षता से बहला फुसलाकर ले जाकर व्यपहरण किया एवं अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर जबरदस्ती विवाह करने के लिए विलुब्ध करने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण किया ।

2- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अपहृता/अभियोक्त्री अपहृत होने के बाद दरियाफ्त नहीं हुई उक्त स्वीकारोक्ति अभियोक्त्री के घरवालों ने की है ।

3- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 10/6/11 को फरियादी हिम्मत सिंह ने थाने पर आकर अपनी पुत्री कोमेश के गुम होने बाबत रिपोर्ट इस आशय से की, कि 09/6/11 को वह गोहद मौ में सामान खरीदने के लिए आया था, शाम करीब 5-6 बजे उसकी पत्नी रामायनी देवी ने फोन करके उसे बताया कि लडकी कोमेश उर्फ बाना का एक घण्टे से पता नहीं चल रहा है । मेघसिंह का भांजा सोनू जो ग्वालियर में रहता है, वह गाडी लेकर आया था । कोमेश उसी के साथ चली गयी है । जब वह रात को घर पहुंचा तो उसे पता चला कि सोनू उसकी लडकी कोमेश को बहला फुसलाकर ले गया है । सोनू गांव में आता जाता था, उसने लडकी कोमेश को एक बार मोबाइल भी दिया था, जिसे हम लोगों ने तोड़कर फेंक दिया था, सोनू उसकी लडकी को बुरी नियत से बहला फुसलाकर कहीं भगाकर ले गया है । उक्त आशय की रिपोर्ट थाना गोहद के गुमशुदगी सान्हा नंबर 402 पर लेखबद्ध की गयी ।

4— उक्त संबंध में जांच उपरांत आरोपी सोनू को दोषी पाये जाने से थाना गोहद असल अपराध क्रमांक—163/11 अंतर्गत धारा—366, 366 भा. दं.वि. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम की गयी । तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

5— जे०एम०एफ०सी० श्री केशव सिंह द्वारा प्रकरण उपार्पित किए जाने पर माननीय सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ ।

6— अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366 भा०द०वि० के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा०फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। बचाव पक्ष ने आरोपी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

7— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

अ— क्या, आरोपी द्वारा दिनांक—09/6/11 के शाम करीब 5 बजे अभियोक्त्री कोमेश पुत्री हिम्मत सिंह उम्र—17 साल अवयस्क को उसके प्राकृतिक विधि पूर्ण संरक्षक उसके पिता की संरक्षकता से बहला फुसलाकर ले जाकर व्यपहरण किया?

ब— क्या, आरोपी ने अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षक पिता की संरक्षकता से उसकी सम्मति/अनुमति के बगैर बिलुब्ध करने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध अयुक्त संभोग करने के आशय से ले जाकर व्यपहरण किया ?

8— अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामायनीबाई (अ०सा० 1), विकास (अ०सा० 2), हिम्मत सिंह (अ०सा० 3), ए.एस.आई. नानक चन्द्र यादव (अ०सा० 4) एवं प्र.आर. केशव दत्त (अ.सा.—5) एवं दामोदर प्रसाद गुप्ता निरीक्षक (अ०सा० 6) की साक्ष्य कराई है । आरोपी की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं हुई है ।

—::—निष्कर्ष के आधार :—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— अ, एवं ब का निराकरण

9— उक्त विचारणीय विंदु का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।

10. परीक्षित साक्षियों में से घटना की बतायी गयी अपहृता कोमेश उर्फ बाजा की मां रामायनी बाई अ.सा.—1, भाई विकास अ.सा.—2 और पिता हिम्मत सिंह अ.सा.—3 ने अपने अभिसाक्ष्य में एक जैसा बताते हुए यह कहना है कि कोमेश के घर से जाने के बाद कोई जानकारी नहीं है । उनके मुताबिक वह मर गयी है तथा उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि वह कहां भागकर गयी थी । उन्हें किसी पर से कोमेश को बहला फुसलाकर

भगा ले जाने की शंका नहीं है, ना ही उन्होंने इस संबंध में पुलिस को कोई बयान दिया ।

11. उक्त तीनों ही महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उन्होंने इस बात से साफ तौर से इंकार किया है कि कोमेश को आरोपी सोनू पुत्र प्रेमसिंह दिनांक-9/6/11 को दिन के 2-3 बजे पानी बरसते समय गाड़ी से भगाकर ले गया था और उसने कोमेश को मोबाइल भी दिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया था । इस बात से भी इंकार किया है कि सोनू कोमेश को शादी करने की नीयत से भगाकर ले गया था ।

12. रामायनी बाई ने प्रदर्श पी.-1, विकास ने प्रदर्श पी.-2 और हिम्मत सिंह ने प्र.पी.-5 के पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है । हिम्मत सिंह ने यह कहा है कि उसकी पुत्री कोमेश उर्फ बाजा घर से चली गयी थी, इस बारे में उसने पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी । पुलिस ने उनके घर आकर प्रदर्श पी.-3 का नक्शा मौका बनाया था । गुमशुदगी रिपोर्ट प्र.पी.-4 है, उसके मुताबिक गुमशुदगी की रिपोर्ट में उसने यह बात लिखायी थी कि दिनांक-09/6/11 को शाम करीब 5 बजे घर से उसकी पुत्री कोमेश लैट्रिंग की बोलकर गयी थी, जो लौटकर वापिस नहीं आयी ।

13. इस तरह से उक्त तीनों ही महत्वपूर्ण साक्षी जो कि अपहृत के माता पिता और भाई होकर घटना के लिए सर्वाधिक महत्व के साक्षी थे, उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है । जबकि कथानक में आरोपी सोनू के द्वारा कोमेश को शादी का प्रलोभन देकर उसके द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की घटना बतायी गयी है जिसका कोई समर्थन नहीं हुआ है । इसके अलावा प्रकरण में अन्य परीक्षित साक्षियों में प्रदर्श पी.-4 की गुमशुदगी लेखबद्ध करने वाले प्रधान आरक्षक केशवदत्त शर्मा अ.सा.-5 ने हिम्मत सिंह के द्वारा थाना आकर सूचना देने पर प्र.पी.-4 लेखबद्ध करना बताया है, जिसके साथ 2-3 लोग और आये थे, किन्तु स्वयं हिम्मत सिंह ने प्र.पी.-4 के कथानक का कोई समर्थन नहीं किया है । ऐसे में गुमशुदगी लेखक के अभिसाक्ष्य से प्र.पी.-4 भी प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है ।

14. इसी कारण उसके आधार पर ए.एस.आई. नानकचन्द्र यादव अ.सा.-4 के द्वारा की गयी जांच को भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है । क्योंकि जांचकर्ता के द्वारा जांच में अपहृत के माता पिता भाई के ही कथन लेना बताये, जिन्होंने समर्थन नहीं किया है और जिससे नानक चन्द्र यादव अ.सा.-4 की प्र.पी.-6 की गुमशुदगी जांच रिपोर्ट को उसके अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, जिसके आधार पर ही जांच उपरांत प्रदर्श पी.-10 की एफ.आई.आर. नगर निरीक्षक दामोदर प्रसाद गुप्ता अ.सा.-6 ने दिनांक-25/7/2011 को थाना प्रभारी की हैसियत से लेखबद्ध करना बताया है, जो उसके अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है ।

15. अपराध कायमी पश्चात की विवेचना ए.एस.आई. नानक चन्द्र यादव अ.सा.-4 के द्वारा करना बतायी गयी है, जिसमें उसने नक्शा

मौका प्र.पी.-3 तैयार किया । साक्षियों के कथन लिये । जिसमें रामनरेश कुशवाह का कथन लेना भी उसने बताया है, जिसे विचारण कार्यक्रम में शामिल कर परीक्षित नहीं कराया गया है और चूंकि माता-पिता, भाई के द्वारा ही कतई समर्थन नहीं है, ऐसे में रामनरेश कुशवाह की अभिसाक्ष्य से अभियोजन के मामले में कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना भी नहीं रह जाती है । ऐसे में अ.सा.-4 के अभिसाक्ष्य से भी कोई तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है ।

16. अभिलेख पर जिस तरह की साक्ष्य पेश हुई है, उसमें अपहृता कोमेश उर्फ बाजा गुमशुदगी के समय 17 वर्ष की अवयस्क बतायी गयी है, जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है । इससे यह तथ्य तो प्रमाणित होता है कि अपहृता घटना के समय अवयस्क थी और उसके विधिपूर्ण/प्राकृतिक संरक्षक पिता की संरक्षता से वह उनकी सम्मति/अनुमति के बगैर गयी, किन्तु उसे आरोपी सोनू ही लेकर गया या आरोपी सोनू के द्वारा विवाह का प्रलोभन दिया गया और उसके लिए ही उसे बहला फुसलाकर ले जाया गया, यह तथ्य किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं है । ऐसे में जब कि अपहृता का कोई आज तक सुराग भी नहीं लगा है और आरोपी विचारण में है । अभियोजन का मामला पूरी तरह से संदिग्ध हो जाता है और युक्ति युक्त संदेह के परे यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक-09/6/2011 को शाम करीब 5 बजे आरोपी सोनू के द्वारा कोमेश उर्फ बाजा पुत्री हिम्मत सिंह अवयस्क को उसके प्राकृतिक/विधिपूर्ण संरक्षक पिता की संरक्षता से बहला फुसलाकर या बलपूर्वक विवाह करने के लिए उनकी सम्मति/अनुमति के बगैर या बिलुब्ध करने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध अयुक्त संभोग करने के आशय से ले जाकर व्यपहरण का अपराध कारित किया ।

17. फलतः आरोपी संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं, अतः उन्हें संदेह का लाभ देते हुए आरोपित अपराध धारा-363, 366 भा.दं.वि. से दोषमुक्त किया जाता है ।

18— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं ।

19— प्रकरण में निराकरण के लिए संपत्ति जप्त नहीं है ।

दिनांक: 21 जुलाई 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड